तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज शैतानसिंह . बनाम लो.सू.अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ.अपील सं0 173/2023 ( )	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.08.23	अपीलार्थी शैतानसिंह पुत्र रतनसिंह, निवासी प्लॉट नं. 15, गोपालवाडी, होटल गढगोविन्द के पास, चौपासनी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 08.05.23. में उसके द्वारा (1) ग्राम पंचायत हनवंतनगर के ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जनवरी 2020 से अब तक उनके कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास योजना में बनाये गये मकानों के नियम विरूद्ध किये गये भुगतान की जांच जिला टीम से करवाने बाबत् दिनांक 28.02.23 को प्रार्थी द्वारा शिकायत पर की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 938 दिनांक 03.08.23 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि शैतानसिंह द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 28.02.23 व 25.03.23 बाबत् आवक लिपिक कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 28.02.23 कार्यालय में आना नहीं पाया गया तथा दिनांक 25.03.2023 कार्यालय की आवक पंजिका के क्र.सं. 3675 दिनांक 28.03.23 पर दर्ज कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर को मूल ही भिजवाया गया, जिस बाबत! कार्यालय के पत्रांक 743 दिनांक 03.07.2023 द्वारा सूचित किया जा चुका है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ हेतु प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (हिमांशु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)	